

राजस्थान सरकार
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 10 § राज-5/94 / 9

जयपुर, दिनांक:- 7-3-98

-: अधिसूचना :-

~~3-3-98~~

=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15 § की धारा 261 की उप-धारा §2 § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व § भूमि अभिलेख § नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- §1 § इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व § भूमि अभिलेख § संशोधन § नियम, 1998 है ।
2. उक्त §2 § ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. उक्त नियमों के नियम 273 के उप-नियम §4 § के अण्ड § 1' § के परन्तुक में अभिव्यक्ति " अनुसूचित जाति / जनजाति " के पश्चात् और शब्द " और " के पूर्व अभिव्यक्ति " मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित " अन्तःस्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से

§ के० पी० सिंघल §
शासन उप सचिव

पनीज/